प्रेस विज्ञप्ति

12.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र लाइसेंस जारी करने से संबंधित एक मामले में 21 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं, जिनमें तत्कालीन शस्त्र लाइसेंस प्राधिकारी (डीएम/एडीएम) - राजीव रंजन (आईएएस) और इतरत हुसैन रफीकी, न्यायिक क्लर्क, उप मजिस्ट्रेट कार्यालय, कुपवाड़ा के अन्य अधिकारी और राहुल ग्रोवर, सैयद अदेल हुसैन शाह और सैयद अकील शाह सहित गन हाउस डीलरों/एजेंटों/बिचौलिए शामिल हैं, के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 12.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आतंकवाद विरोधी दस्ते/विशेष अभियान समूह, जयपुर, राजस्थान पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि संबंधित अवधि के दौरान तत्कालीन डीएम/एडीएम, न्यायिक क्लर्क और जिला मजिस्ट्रेट, कुपवाड़ा के कार्यालय के अन्य अधिकारियों ने गन हाउस डीलरों और एजेंटों/बिचौलियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची, और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न मानदंडों, प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके आर्थिक लाभ के बदले में अयोग्य आवेदकों को बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र लाइसेंस जारी किए/नवीनीकरण किया। आरोपितों को उपरोक्त अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय अर्जित और धारण करने में संलिप्त पाया गया।

इससे पहले, ईडी ने आरोपियों की 4.69 करोड़ रुपए तक की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, और तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान 1.58 करोड़ रुपए तक की नकदी और सोना जब्त किया था। माननीय निर्णायक प्राधिकरी, पीएमएलए, नई दिल्ली द्वारा कुर्की और जब्ती की पुष्टि की गई है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****